4|3|24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अथवा प्रार्थीगण की ओर से कोई उप० नही है। प्रार्थीगण का वाद खारीज हो चुका है। वाद के अभाव में प्रा० पत्र अस्थाई — निषेधाज्ञा के चलाये जाने का कोई औचित्य नही है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना -पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] सहायक कलेक्टर [illegible] पालक मजिस्ट्रेट फर्स्ट [illegible] मोड